**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3800**
**दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए**

**स्वापक-रोधी अभियान और आंदोलन**

**†3800. श्री एम. के. राघवनः**
**एडवोकेट अद्वूर प्रकाश:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**
**(क) क्या सरकार ने हाल ही में केरल राज्य द्वारा शुरू किए गए सफल स्वापक-रोधी अभियान 'ऑपरेशन तूफान' पर ध्यान दिया है;**

**(ख) क्या सरकार देशभर में इसी प्रकार के स्वापक-रोधी अभियान के लिए पहल करेगी और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या उन कुछ राज्यों में तुलनात्मक रूप से कम है जहां मादक पदार्थों को बड़ी संख्या में जब्त किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;**

**(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार स्वापक पदार्थों की जब्ती, दर्ज किए गए मामलों की संख्या और दोषसिद्धि की संख्या का ब्यौरा क्या है;**

**(ङ.) क्या सरकार स्वापक पदार्थों की जब्ती के मामलों में दोषसिद्धि की घटी हुई दर से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(च) क्या सरकार के पास मादक पदार्थों के तस्करों की पहचान करने, उन्हें गिरफ्तार करने व उन पर मुकदमा चलाने तथा संगठित मादक पदार्थ नेटवर्क को खत्म करने के लिए उक्त अभियानों की तर्ज पर राज्य पुलिस, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सीमा शुल्क, तट रक्षक बल और अन्य प्रवर्तन अभिकरणों को शामिल करते हुए देशव्यापी बहु-अभिकरण के समन्वय से अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क): सरकार इस बात से अवगत है कि केरल राज्य द्वारा राज्य में मादक पदार्थों की समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2 जून, 2026 को "ऑपरेशन तूफान – द नार्को हंट" नामक राज्यव्यापी स्वापक रोधी अभियान शुरू किया गया है।

(ख): मादक पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से दिनांक 26.06.2026 को "मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)" जारी किया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट का क्रियान्वयन संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/एजेंसी के लिए निर्धारित कार्रवाई-बिंदुओं तथा समय-सीमा के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना है। साथ ही, यह भी परिकल्पना की गई है कि राज्य तथा जिले, विजन डॉक्यूमेंट में उल्लिखित राष्ट्रीय रोडमैप के अनुरूप मादक पदार्थ नियंत्रण हेतु 3 वर्षीय रोडमैप के लिए अपना विजन तैयार करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट में फोकस वाले निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं:-

(i) प्रवर्तन (आसूचना एवं संचालन)
(ii) प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक ड्रग्स कण्ट्रोल
(iii) डिमांड एवं हार्म रिडक्शन
(iv) क्षमता निर्माण एवं समन्वय

इसके अलावा, भारत सरकार स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के माध्यम से "मादक पदार्थ नियंत्रण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 24.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े एकत्र एवं प्रकाशित करता है। आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन से पहले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी)/अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) के प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उनका विधिवत सत्यापन तथा प्रमाणीकरण किया जाता है।

एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित वर्ष 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत वर्ष 2022 से 2024 के दौरान 'राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र-वार मादक पदार्थों की जब्ती का ब्योरा' तथा 'दर्ज मामलों (सीआर), दोषसिद्धियों (सीओएन) की संख्या तथा दोषसिद्धि दर (सीवीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा' क्रमशः अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(च) दिनांक 26.06.2026 को जारी "मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026–2029)" में संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्कों की पहचान, उनकी जांच तथा उन्हें नष्ट करने के लिए बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय के साथ खुफिया सूचना-आधारित, नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन की परिकल्पना की गई है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राज्य पुलिस, सीमा शुल्क, तटरक्षक बल तथा अन्य संबंधित एजेंसियों सहित प्रवर्तन एजेंसियां नार्को समन्वय (एनकॉर्ड) जैसे संस्थागत तंत्रों, संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी), खुफिया सूचना के आदान-प्रदान के मंचों तथा संयुक्त अभियानों के माध्यम से घनिष्ठ समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं। इस रणनीति का मुख्य फोकस राष्ट्रपारीय, अंतर्राज्यीय, राज्य तथा जिला स्तर पर तस्करों को निशाना बनाते हुए प्रमुख मादक पदार्थ तस्करी कार्टेलों की पहचान कर उन्हें नष्ट करना, वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित मामलों में अनिवार्य वित्तीय जांच करना, अपराध से अर्जित आय को रोकना तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना है।

*****

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3800, दिनांक 11.08.2026**

**अनुलग्नक-।**

**वर्ष 2022-2024 के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | किग्रा. | संख्या | लीटर | किग्रा. | संख्या | लीटर | किग्रा. | संख्या | लीटर |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 169223.567 | 11803 | 0 | 54630.795 | 5525 | 7.275 | 52141.237 | 8028 | 4.8 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 3533.650 | 0 | 0 | 3015.778 | 1748 | 0 | 164.505 | 681 | 0 |
| 3 | असम | 49515.645 | 5281488 | 4397079.600 | 30733.363 | 3609812 | 1815347.226 | 23650.867 | 3331509 | 739090.690 |
| 4 | बिहार | 31985.903 | 47437 | 18237.900 | 60107.894 | 39743 | 6114.789 | 32988.009 | 163024 | 10927.470 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 25427.599 | 519809 | 44403.200 | 23589.264 | 1502999 | 3714.614 | 28903.346 | 268145 | 930.700 |
| 6 | गोवा | 206.840 | 0 | 0 | 171.794 | 0 | 0 | 281.916 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 29230.550 | 185 | 1242.680 | 23015.738 | 33338 | 2413.500 | 13304.471 | 12041 | 1189.838 |
| 8 | हरियाणा | 24949.364 | 878887 | 980.450 | 25557.001 | 536825 | 2511.100 | 25606.549 | 1043966 | 4877.440 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 943.433 | 94208 | 225.500 | 1391.624 | 1242131 | 1481.207 | 1313.363 | 4054486 | 18.300 |
| 10 | झारखंड | 37322.623 | 4601 | 257.950 | 45017.111 | 365 | 586.800 | 37193.882 | 9812 | 1165.700 |
| 11 | कर्नाटक | 10577.238 | 2820 | 34.000 | 12590.952 | 7284 | 13.700 | 13575.924 | 20214 | 3808.400 |
| 12 | केरल | 5639.273 | 2808 | 0.043 | 3158.526 | 625 | 0 | 4796.32 | 1553 | 1.546 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 70722.635 | 35655 | 6702.520 | 68513.67 | 56495 | 5569.300 | 95892.885 | 306032 | 15014.900 |
| 14 | महाराष्ट्र | 20185.509 | 22672 | 5240.308 | 22044.77 | 32376 | 6936.53 | 32565.864 | 111992 | 1526.92 |
| 15 | मणिपुर | 18454.016 | 834967 | 3461.830 | 4135.776 | 223559 | 1181.320 | 161.179 | 121357 | 7.200 |
| 16 | मेघालय | 3993.255 | 19325 | 28.900 | 1391.956 | 0 | 8742.500 | 5096.694 | 308 | 534.900 |
| 17 | मिजोरम | 388.530 | 0 | 63.800 | 262.762 | 0 | 10.000 | 1653.281 | 0 | 0.000 |
| 18 | नागालैंड | 7791.296 | 169433 | 251.560 | 1027.439 | 111363 | 526.378 | 4603.01 | 105408 | 1919.600 |
| 19 | ओडिशा | 144181.034 | 0 | 0 | 171492.546 | 8220 | 9863.408 | 141703.563 | 23746519 | 5886.3 |
| 20 | पंजाब | 49421.858 | 6246151 | 5017.200 | 47609.38 | 8619885 | 3747.644 | 42951.283 | 29554530 | 192.140 |
| 21 | राजस्थान | 155161.550 | 684188 | 15.800 | 242769.223 | 427971 | 5596.990 | 205244.958 | 953187 | 293.570 |
| 22 | सिक्किम | 24.083 | 24629 | 9.803 | 1.297 | 33670 | 173 | 1.686 | 26060 | 205.5 |
| 23 | तमिलनाडु | 27509.701 | 76540 | 58.645 | 24318.971 | 38170 | 15.432 | 21807.804 | 165810 | 22.374 |
| 24 | तेलंगाना | 31771.630 | 512 | 100.370 | 28947.158 | 5795 | 30.784 | 21958.792 | 14985 | 328.531 |
| 25 | त्रिपुरा | 61795.360 | 155423 | 12294.500 | 33297.618 | 418945 | 13639.150 | 17750.496 | 1792968 | 6412.145 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 1051997.001 | 933689 | 76593.980 | 70273.2 | 1213826 | 26553.800 | 73283.983 | 726132 | 7329.200 |
| 27 | उत्तराखंड | 1492.520 | 155201 | 307.000 | 1815.544 | 797938 | 218.000 | 2702.292 | 270340 | 0.000 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 23897.767 | 631624 | 67182.860 | 18002.775 | 1256558 | 45277.871 | 22897.096 | 498618 | 60377.169 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 60.679 | 325 | 2.600 | 334.921 | 630 | 49.700 | 6113 | 1463 | 0.000 |
| 30 | चंडीगढ़ | 360.005 | 2627 | 0 | 290.095 | 958 | 1 | 56.467 | 732 | 1823 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | 11.154 | 0 | 0 | 4.233 | 0 | 0 | 7.902 | 0 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 5512.448 | 353168 | 0 | 4466.244 | 519756 | 4070.72 | 7155.794 | 932128 | 900 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 17192.409 | 300776 | 956.100 | 11358.528 | 158776 | 5185.676 | 4977.21 | 134699 | 552.800 |
| 34 | लद्दाख | 0.735 | 0 | 0 | 72.768 | 0 | 0 | 15.886 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 4.228 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 |
| 36 | पुडुचेरी | 90.448 | 20 | 0 | 127.99 | 0 | 0 | 46.864 | 0 | 0 |
| | कुल | 2080575.536 | 17490971 | 4640749.099 | 1035540.089 | 20905286 | 1969579.414 | 942571.125 | 68376727 | 865341.133 |

स्रोत: क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3800, दिनांक 11.08.2026**

**अनुलग्नक-।।**

**वर्ष 2022-2024 के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज मामलों (सीआर), दोषसिद्धियों (सीओएन) की संख्या और दोषसिद्धि दर (सीवीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीआर | सीओएन | सीवीआर | सीआर | सीओएन | सीवीआर | सीआर | सीओएन | सीवीआर |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1391 | 24 | 6.1 | 1731 | 67 | 26.6 | 1940 | 19 | 8.0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 306 | 5 | 20.8 | 264 | 3 | 6.4 | 238 | 11 | 18.3 |
| 3 | असम | 2902 | 88 | 29.5 | 3069 | 212 | 32.8 | 3335 | 199 | 28.4 |
| 4 | बिहार | 1823 | 194 | 81.2 | 2126 | 263 | 83.8 | 2411 | 348 | 89.5 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1155 | 289 | 59.7 | 1286 | 209 | 56.3 | 1345 | 344 | 31.9 |
| 6 | गोवा | 153 | 25 | 62.5 | 140 | 31 | 51.7 | 162 | 44 | 75.9 |
| 7 | गुजरात | 508 | 8 | 25.0 | 561 | 34 | 58.6 | 580 | 34 | 38.6 |
| 8 | हरियाणा | 3815 | 297 | 49.0 | 3808 | 671 | 46.0 | 3325 | 611 | 43.9 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1516 | 152 | 38.4 | 2146 | 226 | 27.4 | 1715 | 267 | 28.0 |
| 10 | झारखंड | 464 | 67 | 48.6 | 537 | 109 | 45.6 | 806 | 170 | 39.4 |
| 11 | कर्नाटक | 6399 | 3117 | 89.9 | 6763 | 4453 | 91.0 | 4165 | 3701 | 89.2 |
| 12 | केरल | 26619 | 14549 | 99.4 | 30697 | 20635 | 99.2 | 27149 | 21751 | 96.2 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 4811 | 1969 | 81.4 | 3820 | 1481 | 73.8 | 4460 | 1658 | 65.9 |
| 14 | महाराष्ट्र | 13830 | 5309 | 71.1 | 15610 | 6029 | 83.2 | 15641 | 4718 | 80.6 |
| 15 | मणिपुर | 518 | 10 | 58.8 | 288 | 20 | 54.1 | 100 | 6 | 46.2 |
| 16 | मेघालय | 116 | 11 | 61.1 | 189 | 29 | 49.2 | 98 | 34 | 33.7 |
| 17 | मिजोरम | 245 | 92 | 95.8 | 264 | 68 | 97.1 | 340 | 117 | 88.0 |
| 18 | नागालैंड | 242 | 27 | 58.7 | 357 | 52 | 88.1 | 217 | 111 | 77.1 |
| 19 | ओडिशा | 1891 | 12 | 8.8 | 1841 | 35 | 4.3 | 2098 | 17 | 6.0 |
| 20 | पंजाब | 12442 | 3569 | 79.2 | 11589 | 6324 | 82.7 | 8973 | 6181 | 85.5 |
| 21 | राजस्थान | 3821 | 426 | 75.8 | 4958 | 720 | 80.8 | 5246 | 986 | 77.0 |
| 22 | सिक्किम | 41 | 0 | 0.0 | 31 | 2 | 9.5 | 33 | 2 | 8.3 |
| 23 | तमिलनाडु | 10385 | 1990 | 81.3 | 10126 | 3877 | 81.1 | 11037 | 2971 | 77.6 |
| 24 | तेलंगाना | 1279 | 69 | 27.4 | 1487 | 73 | 22.7 | 2183 | 247 | 48.1 |
| 25 | त्रिपुरा | 562 | 13 | 11.7 | 634 | 16 | 11.8 | 470 | 18 | 5.0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 11541 | 2927 | 83.3 | 9387 | 3961 | 87.3 | 5941 | 4504 | 88.0 |
| 27 | उत्तराखंड | 1440 | 124 | 76.1 | 1335 | 789 | 93.5 | 1162 | 2435 | 95.4 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1608 | 139 | 27.2 | 1007 | 87 | 11.5 | 1059 | 25 | 4.3 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 52 | 9 | 28.1 | 77 | 8 | 61.5 | 73 | 28 | 96.6 |
| 30 | चंडीगढ़ | 182 | 64 | 83.1 | 147 | 67 | 73.6 | 90 | 135 | 78.5 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | 11 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 32 | दिल्ली | 1179 | 189 | 70.0 | 1325 | 227 | 81.4 | 1789 | 196 | 63.6 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 1837 | 99 | 41.3 | 2232 | 195 | 53.0 | 1550 | 227 | 51.2 |
| 34 | लद्दाख | 8 | 7 | 100.0 | 20 | 2 | 100.0 | 21 | 10 | 100.0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 3 | 4 | 100.0 | 6 | 0 | - | 12 | 1 | 100.0 |
| 36 | पुडुचेरी | 141 | 5 | 100.0 | 148 | 7 | 100.0 | 121 | 0 | - |
| | **कुल** | **115236** | **35879** | **82.2** | **120010** | **50982** | **83.7** | **109890** | **52126** | **81.9** |

स्रोत: क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)